




श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249 199
Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyala Badshahithaul, Tehri Garhwal-249 199

Ref. No.: ~~5564~~SDSUV/2024-25

Dated : 24/03/2025

कोटेशन विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय की स्थापना से आतिथि तक की यात्रा एवं उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित किये जाने हेतु शॉर्ट फिल्म निर्माण किया जाना है अतः प्रतिष्ठित फर्मों से सीलबन्द कोटेशन 27.03.2025 अपराह्न 02 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट www.sdsuv.ac.in पर देखी जा सकती है।


(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी।
3. श्री दीपक उपाध्याय, प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. कार्यालय प्रति।


(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव

शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. लघु निर्माण का उद्देश्य उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना एवं उच्च शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना है।
2. लघु फिल्म निर्माणकर्ता कम्पनी/फर्म/एजेन्सी को विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान के फिल्म निर्माण/डाक्यूमेंटरी निर्माण कार्य में न्यूनतम 02 वर्षों का अनुभव एवं न्यूनतम 3 शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय की लघु फिल्म बनायी गयी हो।
3. लघु फिल्म निर्माणकर्ता को विश्वविद्यालय के संरक्षक अधिकारी को अनन्तिम रूप से लघु फिल्म प्रदर्शित/दिखानी होगी। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लघु फिल्म सटीक (Accurate) तथ अद्यतन (Up to Date) है, उसके पश्चात् की लघु फिल्म का अन्तिम रूप से निर्माण किया जाना होगा।
4. लघु फिल्म निर्माणकर्ता को पूर्ण गोपनीयता के साथ फिल्म का निर्माण करना होगा तथा निर्माण सम्बन्धी सूचनाओं का आदान-प्रदान विश्वविद्यालय के संरक्षक/कार्यपालक अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी के साथ करना होगा।
5. लघु फिल्म की कार्य अवधि 5 मिनट की होगी।
6. लघु फिल्म का निर्माण करने के पश्चात् सी0डी0/पेनड्राईव की दो-दो प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
7. लघु फिल्म में प्रयुक्त सभी फुटेज विश्वविद्यालय में जमा करने होंगे।
8. लघु फिल्म का पूर्ण स्वातित्व (Copyright) विश्वविद्यालय के पास रहेगा।
9. लघु फिल्म निर्माणकर्ता द्वारा किसी भी दशा में फिल्म न तो सार्वजनिक की जायेगी न ही अन्य संस्थानों को दी जायेगी।
10. लघु फिल्म की फुटेज की सत्यता से सम्बन्धित 10 रू0 के स्टाम्प पत्र पर नोटरी से सत्यापित करवाते हुये बीजक भुगतान हेतु 03 प्रतियों में उपलब्ध कराने होंगे।

①-